फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

थानाधिकारी, पुलिस थाना राजतलाव, जिला बांसवाडा	बनाम	1. विकास पिता भरतलाल निवासी हम्मीपुरा बडा थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा चालक पीकअप रजि.नं RJ 35 GA 0727 2. राकेश पिता अर्जुन निवासी भोयन घाटी थाना कलिंजरा, बांसवाडा

धारा, 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

मु. नं. : 15/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19–06–2024	थानाधिकारी, पुलिस थाना राजतलाव ने रिपोर्ट की है कि हैडकानि नं 293 श्री हसमुखलाल मय कानि नं.539 दिपक चालक कानि नं. 881 विनोद द्वारा दिनांक 15.06.2024 को शारदा कोलोनी लिंक रोड तरफ से समय करीब 12:31 एएम पर दौराने गश्त सी टी कन्ट्रोल ने बताया कि एक पिकअप प्रताप सर्कल की तरफ से पशु भरकर आ रही है जिस पर नक्षत्र मॉल के पास पहुंच नाकबन्दी करने के दौरान समय करीब 12:45 एएम. पर प्रताप सर्कल की तरफ से एक पीक अप वाहन सफेद रंग की आती दिखने पर इशारा देकर रोक कर पिकअप वाहन चालक का नाम पता पुछने पर पिकअप वाहन नंबर आरजे35–जीए–0727 के चालक ने अपना नाम विकास पिता भरतलाल निवासी हम्मीपुरा बडा थाना कलिंजरा उसके साथ में बैठा व्यक्ति जिसका नाम राकेश पिता अर्जुन निवासी भोयन घाटी थाना कलिंजरा, बांसवाडा का होना बताया। चालक को पिकअप के अन्दर क्या है पुछने पर सन्तोष प्रद जवाब नही दिया। सउनि व जाप्ते द्वारा देखने कुल चार बैल जवान उम्र के क्षमता से अधिक ठुस ठुस कर भरे हुए पाये। चालक से पुछने पर उक्त बैल घाटोल से भरना एवं झालोद ले जाना बताया। निर्दयता पुर्वक पिकअप वाहन में ठुस ठुस कर बैलो को भरना व गौवंश (बैल) को वध प्रयोजन से निर्यात व गुजरात तरफ परिवहन करना अपराध करना होने से पिकअप मय चार बैल मय वाहन चालक थाने में लाया गया। वगैरा रिपोर्ट पर थानाधिकारी राजतलाव ने प्रकरण संख्या 104/2024 धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधि. 1995 एवं 11(1)(डी) पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधि. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दौराने अनुसंधान पिकअप वाहन नंबर आरजे 35 जीए 0727 मय चार बैल भरे हुए को जरिये फर्द जप्त किया गया। अभियुक्त श्री विकास पिता भरतलाल निवासी हम्मीपुरा बडा थाना कलिंजरा व राकेश पिता अर्जुन निवासी भोयन घाटी थाना कलिंजरा, बांसवाडा को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ने प्रकरण में जप्तशुदा 4 गौवंश (बैल) को वृंदावन गौशाला बांसवाडा को सुपुर्द करने निवेदन किया है। अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 4 गौवंश (बैल) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, वृंदावन गौशाला संस्थान (गौ–शाला) बांसवाडा को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। जब्तशुदा 4 गौवंश (बैल) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, वृंदावन गौशाला संस्थान (गौ–शाला) बांसवाडा की होगी। जब्तशुदा गौवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, वृंदावन गौशाला संस्थान (गौ–शाला) बांसवाडा बाध्य होगा। तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. इंद्रजीत यादव) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)	